न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

Spl. (SC/ST) Case No.80/2021

भोली देवी उर्फ सुनिता देवी
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थिति :–
वास्ते आवेदक :– श्री राजनारायण सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :– श्री कलानंद राम, विद्वान विषेष लोक अभियोजक।

07.09.2022

आवेदिका भोली देवी उर्फ सुनिता देवी की ओर से Bhargama P.S. Case No. 87/2021 U/S-341, 323, 324, 379, 504/34 I.P.C. & 3(1)(r), 3(1)(s) of SC/ST Act के संदर्भ में अलग–अलग सेट में आत्मसमर्पण आवेदन एवं जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। उपरोक्त आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आत्मसमर्पण आवेदन एवं जमानत आवेदन को आज प्रचालित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि, सूचक महेन्द्र रजक के अनुसार दिनांक–08.06.2021 को समय 8:30 बजे रात में प्राथमिकी के नामित अभियुक्तगण हरवे–हथियार से लैश होकर सूचक के दरवाजा पर गया और जाति सूचक शब्द से गाली देने लगे। अभियुक्त रामचन्द्र मुखिया गाली देते हुए बोला मारो, आदेश पाते ही सभी अभियुक्तगण मारने लगे। अभियुक्त अमित मुखिया रड से सूचक के माथा पर मारा। सूचक को बचाने परिवार के लोग आये तो सभी अभियुक्तगण उसके साथ भी मारपीट किये। अभियुक्त उपेन्द्र मुखिया सूचक के लड़का सुनिल कुमार रजक को लाठी से मारने लगा। अभियुक्तगण घेलट मुखिया एवं भोली देवी सूचक की पत्नी, बेटी एवं पतोह को मारने लगी, जिससे उसकी बेटी के हाथ में जख्म हो गया। अभियुक्त रामचन्द्र मुखिया सूचक के पतोह का गहना खींच लिया। भोली देवी सूचक के पतोह की बाल पकड़कर घसीटते हुए उसका गहना खींच लिया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदिका निर्दोष है और वह कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदिका को ग्रामीण राजनीति के कारण इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदिका आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है।

विद्वान विशेष अपर लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं तथा कथन करते हैं कि सूचक को न्यायालय में उपस्थिति हेतु नोटिस किये थे।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के अनुसार जख्म सामान्य प्रकृति का है तथा कांड दैनिकी में साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन नहीं किये हैं। सह अभियुक्तों के जमानत का लाभ इस न्यायालय द्वारा दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदिका का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदिका को मो0 दस हजार रूपये के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है कि–

1. आवेदिका न्यायालय में समय से पैरवी करती रहेगी।

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया